रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062020-219699
CG-DL-E-03062020-219699

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2020/ज्येष्ठ 13, 1942
No. 183] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2020/JYAISTHA 13, 1942

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2020

सं.–301–03/2020–एफएंडईए–भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की उप–धारा (1) की खण्ड (ख) उप–खण्ड (i) के साथ पठित की धारा 11 की उप–धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश तैयार करता है, नामतः :–

दूरसंचार टैरिफ (पैंसठवां संशोधन) आदेश, 2020

(वर्ष 2020 का संख्या 01)

1 (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (पैंसठवां संशोधन) आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह, इसके आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 (जिसे आगे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 3 में ''अनुसूची I से XIII'' शब्दों तथा आंकड़ों के स्थान पर ''अनुसूची I से XII'' शब्दों तथा आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मूल टैरिफ आदेश में अनुसूची XIII तथा उसके तहत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

एस. के. मिश्रा, प्रधान सलाहकार (एफएंडईए)

[विज्ञापन–III/4/असा./39/20–21]

टिप्पणी 1 – दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 को दिनांक 09 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था तथा तत्पश्चात् इसमें निम्नानुसार संशोधन किए गएः–

संशोधन संख्या	अधिसूचना संख्या और तिथि
पहला	301-4/99- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 30 मार्च, 1999
दूसरा	301-4/99- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 31 मई, 1999
तीसरा	301-4/99- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 31 मई, 1999
चौथा	301-4/99- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 28 जुलाई, 1999
पांचवां	301-4/99- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 17 सितम्बर, 1999
छठा	301-4/99- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 30 सितम्बर,1999
सातवां	301-8/2000- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 30 मार्च, 2000
आठवां	301-8/2000- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 31 जुलाई, 2000
नौवां	301-8/2000- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 28 अगस्त, 2000
दसवां	306-1/99- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 09 नवम्बर, 2000
ग्याहरवां	310-1(5)/ भादूविप्रा –2000 , दिनांक 25 जनवरी, 2001
बारहवां	301-9/2000- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 25 जनवरी, 2001
तेहरवां	303-4/ भादूविप्रा – 2001, दिनांक 01 मई, 2001
चौदहवां	306-2/ भादूविप्रा – 2001, दिनांक 24 मई, 2001
पंद्रहवां	310-1(5)/ भादूविप्रा– 2000, दिनांक 20 जुलाई, 2001
सोलहवां	310-5(17)/2001-भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 14 अगस्त, 2001
सत्रहवां	301/2/2002- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 22 जनवरी, 2002
अठाहरवां	303/3/2002- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 30 जनवरी, 2002
उन्नीसवां	303/3/2002- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 28 फरवरी, 2002
बीसवां	312-7/2001- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 14 मार्च, 2002
इक्कीसवां	301-6/2002- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 13 जून, 2002
बाईसवां	312-5/2002- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 04 जुलाई, 2002
तेईसवां	303/8/2002- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 06 सितम्बर, 2002
चौबीसवां	306-2/2003- ईसीओएन, दिनांक 24 जनवरी, 2003
पच्चीसवां	306-2/2003-ईसीओएन, दिनांक 12 मार्च, 2003
छब्बीसवां	306-2/2003- ईसीओएन, दिनांक 27 मार्च, 2003
सत्ताईसवां	303/6/2003- भादूविप्रा (ईसीओएन), दिनांक 25 अप्रैल, 2003
अट्ठाईसवां	301-51/2003- ईसीओएन, दिनांक 05 नवम्बर, 2003
उनतीसवां	301-56/2003- ईसीओएन, दिनांक 03 दिसम्बर, 2003
तीसवां	301-4/2004 (ईसीओएन), दिनांक 16 जनवरी, 2004
इकतीसवां	301-2/2004- ईसीओ, दिनांक 07 जुलाई, 2004
बत्तीसवां	301-37/2004- ईसीओ, दिनांक 07 अक्तूबर, 2004
तैंतीसवां	301-31/2004- ईसीओ, दिनांक 08 दिसम्बर, 2004
चौंतीसवां	310-3(1)/2003- ईसीओ, दिनांक 11 मार्च, 2005
पैंतीसवां	310-3(1)/2003- ईसीओ, दिनांक 31 मार्च, 2005
छत्तीसवां	312-7/2003- ईसीओ, दिनांक 21 अप्रैल, 2005
सैंतीसवां	312-7/2003- ईसीओ, दिनांक 02 मई, 2005
अड़तीसवां	312-7/2003- ईसीओ, दिनांक 02 जून, 2005
उनतालीसवां	310-3(1)/2003- ईसीओ, दिनांक 08 सितम्बर, 2005
चालीसवां	310-3(1)/2003- ईसीओ, दिनांक 16 सितम्बर, 2005
इकतालीसवां	310-3(1)/2003- ईसीओ, दिनांक 29 नवम्बर, 2005
बयालीसवां	301-34/2005- ईसीओ, दिनांक 07 मार्च, 2006
तैंतालीसवां	301-2/2006- ईसीओ, दिनांक 21 मार्च, 2006
चवालीसवां	301-34/2006- ईसीओ, दिनांक 24 जनवरी, 2007
पैंतालीसवां	301-18/2007- ईसीओ, दिनांक 05 जून, 2007
छियालीसवां	301-36/2007- ईसीओ, दिनांक 24 जनवरी, 2008
सैंतालीसवां	301-14/2008- ईसीओ, दिनांक 17 मार्च, 2008
अड़तालीसवां	301-31/2007- ईसीओ, दिनांक 01 सितम्बर, 2008
उनचासवां	301-25/2009- ईआर, दिनांक 20 नवम्बर, 2009
पचासवां	301-24/2012- ईआर, दिनांक 19 अप्रैल, 2012
इक्यावनवां	301-26/2011- ईआर, दिनांक 19 अप्रैल, 2012
बावनवां	301-41/2012- एफएंडईए, दिनांक 19 सितम्बर, 2012

तिरपनवां	301-39/2012-,फएंडईए, दिनांक 1 अक्तूबर, 2012
चौवनवां	301-59/2012-,फएंडईए, दिनांक 05 नवम्बर, 2012
पचपनवां	301-10/2012-,फएंडईए, दिनांक 17 जून, 2013
छप्पनवां	301-26/2012- ईआर, दिनांक 26 नवम्बर, 2013
सतावनवां	312-2/2013.एफएंडईए, दिनांक 14 जुलाई, 2014
अठावनवां	312-2/2013- एफएंडईए, दिनांक 01 अगस्त, 2014
उनसठवां	310-5 (2)/2013-,फएंडईए, दिनांक 21 नवम्बर, 2014
साठवां	301-16/2014- एफएंडईए, दिनांक 09 अप्रैल, 2015
इकसठवां	301-30/2016- एफएंडईए, दिनांक 22 नवम्बर, 2016
बासठवां	301-30/2016- एफएंडईए, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016
तिरसठवां	312-1/2017- एफएंडईए, दिनांक 16 फरवरी, 2018
चौसठवां	301-20/2018- एफएंडईए, दिनांक 24 सितम्बर, 2018

टिप्पणी 2 –व्याख्यात्मक ज्ञापन, दूरसंचार टैरिफ (पैंसठवां संशोधन) आदेश, 2020 के लिए कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

क. प्रस्तावना और पृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी) को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रणाली का प्रावधान करने के लिए दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 को दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) जारी किया था। विनियम के सभी प्रवाधान दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को प्रवृत्त हुए।

2. इसके अलावा, यूसीसी को नियंत्रित करने के इसी उद्देश्य से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 05 नवम्बर, 2012 का दूरसंचार टैरिफ (चौवनवां संशोधन) आदेश जारी किया था (चौवनवां संशोधन आदेश)। चौवनवां संशोधन आदेश जारी किए जाने के समय प्राधिकरण ने पाया कि सामान्य मोबाइल कनेक्शनों का प्रयोग करके, टेलीमार्केटिंग क्रियाकलाप करने वाले उपभोक्ता, थोक में विज्ञापन संबंधी एसएमएस भेजने के लिए बाजार में उपलब्ध छूट प्राप्त एसएमएस पैकेज का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक परामर्श के आधार पर, मूल टैरिफ आदेश को संशोधित किया गया जिसके तहत सेवा प्रदाताओं को रियायती दरों पर प्रति सिम, प्रति दिवस एस सौ से अधिक एसएमएस भेजने की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया था। इसके अलावा, यह उपबंध किया गया था कि सब्सक्राइबर प्रतिदिन, प्रति सिम, एस सौ से अधिक एसएमएस भेज सकते हैं परंतु ऐसे सभी एसएमएस को कम से कम पचास पैसे प्रति एसएमएस की दर पर प्रभारित किया जाएगा। प्राधिकरण ने यूसीसी की समस्या से दूरसंचार उपभोक्ताओ को प्रभावी ढ़ंग से बचाने के लिए उठाए गए अनेक उपायों में से एक उपाय के रूप में प्रतिदिन, प्रति सिम 100 एसएमएस से अधिक एसएमएस भेजने के लिए कम से कम पचास पैसे प्रति एसएमएस का टैरिफ अधिसूचित करने पर विचार किया।

3. वर्ष 2017 में, प्राधिकरण ने नोट किया कि दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (टीसीसीसीपीआर, 2010) के तहत यूसीसी पर नियंत्रण हेतू विभिन्न उपायो तथा इस मुद्दे पर जारी किए गए अन्य निदेशों के बावजूद, यूसीसी संबंधी शिकायतों में वृद्धि हो रही थी तथा समस्या पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थी। विभिन्न मुद्दों तथा चिंताओं का समाधान करने के लिए दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को यूसीसी पर परामर्श पत्र जारी किया गया था। परामर्श प्रक्रिया के उपरान्तं, प्राधिकरण ने टीसीसीसीपीआर, 2010 का उत्सादन किया तथा दिनांक 19 जुलाई, 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (वर्ष 2018 का 6) (टीसीसीसीपीआर, 2018) लागू किया। टीसीसीसीपीआर, 2018 के तहत विहित किया गया नया विनियामक ढ़ांचा, प्रौद्योगिकी संचालित ढ़ांचा है और यूसीसी का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान जैसे 'एडवांस सिग्नेचर सॉल्यूशन', 'यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम' आदि का उपयोग करता है।

4. यहां यह स्मरण रखना प्रासंगिक है कि विगत वर्षों के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ''टैरिफ की दरों को निर्धारित करने'' के चरण से आगे बढ़ते हुए ''पूर्व अनुमति के साथ 'फारबीयरेंस' '' के चरण से होते हुए अंततः विनियामक पर्यवेक्षण के साथ ''कार्योत्तर जानकारी प्रदान करने के दायित्व के साथ 'फारबीयरेंस' '' के चरण को अपनाया है। तदनुसार, टैरिफ विनियमन की मौजूदा नीति, टीएसपी को मौजूदा बाजार की स्थितियों में उनके सर्वोत्तम वाणिज्यिक हितों के

अनुरूप टैरिफ को तैयार करने की अपेक्षित स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं तक सस्ती तथा वहनीय दरों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देष्य को आगे बढ़ाने के लिए बाजार में अनेकानेक नए नवोन्मेषी उत्पादों का उद्भव हुआ है।

5. टीसीसीसीपीआर, 2018 में विहित विनियामक ढ़ांचे की व्यापकता पर विचार करते हुए अब दूरसंचार उपभोक्ताओ को यूसीसी की समस्या से निजात दिलाने के लिए एसएमएस के प्रषुल्कों को विनियमित करने अथवा छूट प्राप्त दरों पर पेशकश की जाने वाले एसएमएस की संख्या को सीमित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का यह कदम प्रशुल्कों का निर्धारण करने हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सामान्य 'फारबीयरेंस' विनियामकारी पद्धति के अनुरूप होगा।

6. तदनुसार, प्रतिदिन प्रति सिम 100 से अधिक एसएमएस के लिए टैरिफ को विनियमित करने की बजाय एसएमएस के लिए टैरिफ का निर्धारण करने संबंधी मामलों में 'फारबीयरेंस' की स्थिति में अंतरण करने का प्रस्ताव करते हुए मूल टैरिफ आदेश की अनुसूची XIII का लोप करने हेतु दिनांक 18 फरवरी, 2020 को प्ररूप दूरसंचार टैरिफ (पैंसठवां संशोधन) आदेश जारी किया गया। प्ररूप दूरसंचार टैरिफ (पैंसठवां संशोधन) आदेश, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर जनसाधारण के अवलोकन के लिए उपलब्ध था। हितधारकों को दिनांक 03 मार्च, 2020 तक अपनी लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने तथा दिनांक 17 मार्च, 2020 तक प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों तथा प्रति टिप्पणियों को भी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाला गया था।

7. कोविड–19 के फैलने से पैदा हुए घटनाक्रम तथा भारत सरकार द्वारा अपेक्षित परिणामी निरोधात्मक उपायों पर विचार करते हुए जिसमें अन्य बातों के साथ– साथ समूहों में एकत्रित होने पर पाबंदी तथा सामाजिक दूरी संबंधी दिषानिर्देषों का पालन किया जाना था, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 06 मई, 2020 को हितधारकों के लिए ऑनलाइन खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की तथा हितधारकों को न केवल मौखिक रूप से अपने मत प्रकट करने के लिए हितधारकों को न केवल एक और अवसर प्रदान किया बल्कि लिखित में अनुपूरक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भी अनुमति प्रदान की। प्ररूप दूरसंचार टैरिफ (पैंसठवां संशोधन) आदेश की विषयवस्तु तथा उस पर हितधारकों के मत पर प्राधिकरण द्वारा विचार–विमर्ष किया गया। अनुवर्ती पैराओं में मुख्य मुद्दों का संक्षेप में विष्लेषण किया गया है।

ख. प्ररूप दूरसंचार टैरिफ (पैंसठवां संशोधन) आदेश के विरूद्ध हितधारकों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों का विश्लेषण

8. चौवनवें संशोधन आदेश के उपबंधों का उत्सादन करने के प्रस्ताव के विरूद्ध कतिपय हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को मोटे– तौर पर तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, *अर्थात्* :

(i) टीसीसीसीपीआर, 2018 की प्रभावकारिता से संबंधित मुद्दे।

(ii) यूसीसी की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए टीसीसीसीपीआर, 2018 के उपबंधों को बल प्रदान करने के लिए प्रतिदिन प्रति सिम एसएमएस की संख्या को निर्धारित करने के लिए टैरिफ विनियम के रूप में एक सहायक निरोधात्मक उपाय की आवश्यकता; और

(iii) टीसीसीसीपीआर, 2018 की प्रभावकारिता और अधिक स्पष्ट होने देने के लिए कुछ और समय तक समीक्षा करने के लिए प्रतीक्षा की जाए।

9. यूसीसी पर संशोधनों के प्रभाव से संबंधित उपयुक्त चिंताओं के अलावा, एक हितधारक ने इंगित किया की मौजूदा उपबंध सेवा प्रदाताओं को यह अवसर प्रदान करता है कि वे साधारण उपभोक्ताओ की एसएमएस सम्बधित दैनिक आवश्यकताओं को निःषुल्क / छूट प्राप्त एसएमएस मूल्य उपलब्ध करवाए, और उसकी निहित लागत की पूर्ति ऐसे उपभोक्ताओ से ज्यादा मूल्य वसूलकर करे, जो एसएमएस सेवाओं का अधिक उपयोग करते है। इसके आधार पर, टीएसपी ने निवेदन किया गया है कि चौवनवें संशोधन आदेश को किसी भी प्रकार से परिवर्तित किए जाने से यह बारीक संतुलन बिगड़ जाएगा। यह भी

तर्क दिया गया कि प्राधिकरण द्वारा एसएमएस सेवाओं के लिए आईयूसी पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिए जाने के परिणामस्वरूप यह प्रभाव अधिक स्पष्ट होगा।

10. उपयुक्त प्रत्येक टिप्पणी की आगे और जांच की गई और उस पर विष्लेषण को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

यूसीसी संबंधी चिंताओं से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण

i. टीसीसीसीपीआर, 2018 की प्रभावकारिता से संबंधित मुद्दे

11. कतिपय हितधारकों ने इंगित किया है कि टीसीसीसीपीआर, 2018, दस अंकों वाले नम्बर से यूसीसी एसएमएस को नियंत्रित नही ंकर पाएगा। तथापि, यह षंकाएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। इस संबंध में, यह नोट किया जा सकता है कि टीसीसीसीपीआर, 2018 में यूसीसी एसएमएस को नियंत्रित करने के विषिष्ट उपबंध हैं यथा

क) मूल निकायों को पंजीकृत करने का उपबंध जो टेलीमार्केटियरों की सहायता प्राप्त कर अपने उत्पादों का प्रचार करना चाहते हैं, जो यह पहचानने को आसान बना देगा कि किस मूल निकाय ने अपने उत्पाद का प्रचार अप्राधिकृत टेलीमार्केटियरों की सहायता प्राप्त करके किया है;

ख) अपंजीकृत संसाधनों का उपयोग कर टेलीमार्केटिंग करने वाले टेलीमार्केटियरों सहित टेलीमार्केटियरों को अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए वाणिज्यिक प्रोत्साहन दिया गया।

ग) यूसीसी भेजने के लिए ऐसे यूसीसी भेजने वाले की ऑउटगोईंग सेवाओं को बंद करने का उपबंध है यदि यूसीसी भेजने के लिए ऐसे नम्बर के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है और यदि ऐसी शिकायत वैध पाई जाती है और यूसीसी भेजने वाले को भेजे गए नोटिस के बावजूद वह स्पैम भेजना जारी रखता है तो विनियमों में टेलीफोन नम्बर काटने का भी उपबंध मौजूद है।

12. उपयुक्त के अलावा, पहचान के प्रमाण (पीओआई) तथा पते के प्रमाण (पीओए) के सत्यापन के पश्चात् सिम उपलब्ध कराने का एक सुस्थापित प्रक्रिया मौजूद है। इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति/ कंपनी, जो अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण के एसएमएस भेजने के लिए दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करता है उसकी आसानी से पहचान हो सकती है तथा उसके सभी दूरसंचार संसाधनों को आसानी से काटा जा सकता है।

13. उपयुक्त के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि टीसीसीसीपीआर, 2018 में अंतर्विष्ट उपबंध पर्याप्त रूप से निवारक हैं और सेवा प्रदाताओं द्वारा उन्हें कड़ाई से लागू कराया जाना चाहिए। यदि फिर भी, पंजीकृत अथवा अपंजीकृत टेलीमार्केटियरों (आरटीएम/ यूटीएम) से कोई यूसीसी उल्लंघन पाए जाते हैं अथवा जानकारी प्राप्त होती है तो उनपर इन विनियमों के तहत उपयुक्त रूप से कार्यवाही की जाएगी। इसलिए, टीएसपी का यह कथन की टीसीसीसीपीआर, 2018, 10 अंकों वाले नम्बर से यूसीसी एसएमएस को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसलिए मान्य नहीं है।

ii. यूसीसी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए टीसीसीसीपीआर, 2018 के उपबंधों के समर्थन में प्रति सिम प्रतिदिन एसएमएस की संख्या को सीमित करके टैरिफ विनियम के रूप में अनुपूरक निरोधक उपाय की आवश्यकता।

14. कुछ हितधारकों ने यह चिंताएं व्यक्त की थी कि टीसीसीसीपीआर, 2018 में सुरक्षोपाय जैसे : (प) भूतलक्षी उपाय के रूप में उपयोग की अधिकतम सीमा; (पप) यूसीसी एसएमएस भेजने के लिए अनेक सिम के उपयोग की संभावना; और (पपप) यूसीसी एसएमएस भेजने के लिए ए2पी से पी2पी में यूटीएम अंतरित करने की संभावना। इसके आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि टीटीओ (चौवनवां संशोधन) आदेश में यथा अंतर्विष्ट टैरिफ विनियम के रूप में एक अनुपूरक निरोधात्मक उपाय की आवश्यकता है।

15. यह बात सही है कि अधिकतम उपयोग संबंधी सीमा भूतलक्षी उपाय है। तथापि, यह नोट किया जा सकता है कि इसकी वि"ायवस्तु का अवलोकन किए बिना इसका निर्धारण करने का कोई तरीका नहीं है कि क्या अमुक पी2पी संदेश कोई टेलीमार्केटियर संदे है कि नहीं चूंकि संदेश की विषयवस्तु की जांच टीएसपी द्वारा नहीं की जाती है। पी2पी संदेश को सक्रिय

रूप से परिसीमित करने की कोई भी प्रणाली जो सभी पर लागू हो, वांछित लाभ की तुलना में अधिक हानिकारक हो सकती है।

16. हितधारकों की यह कथन की यूटीएम, सिम में परिवर्तन कर सकते हैं तथा संदेश भेजना जारी रख सकते हैं, संभव नहीं है चूंकि पीओआई/पीओए द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापन के पश्चात्ही सिम जारी किए जाते हैं। अब भी, अनेकानेक सिम के साथ सिम बैंक के उपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जो पहचान करने में भी मुष्किल होता है। यदि चौवनवें संशोधन आदेश के तहत निर्धारित की गई ऐसी सीमा को हटा दिया जाता है और शिकायतों को पंजीकृत किया जाता है, तो इस बात की अनपेक्षतः कि व्यक्ति उसी सिम को जारी रखे हुए है अथवा उसने अपना नम्बर बदल लिया है, उस व्यक्ति विषेष/ प्रविष्टि को फिर भी पहचाना जा सकता है।

17. उपयुक्त दोनों चिंताओं/षंकाओं के संबंध में, एक कड़ी निवारक प्रणाली की आवश्यकता है और टीसीसीसीपीआर, 2018 में ऐसे दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध उनके दूरसंचार संसाधनों को काटने सहित अन्य कठोर कार्रवाई आरंभ करने सहित पर्याप्त उपबंध मौजूद हैं। इसलिए, इस बात की संभावना बहुत कम है कि कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण वाले एसएमएस भेजने के लिए अपने सभी दूरसंचार संसाधनों को ताक पर लगाएगा। तथापि, यदि कोई भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो टीसीसीसीपीआर, 2018 में उससे निपटने के लिए उपबंध मौजूद हैं।

18. यूसीसी एसएमएस भेजने के लिए यूटीएम का ए2पी से पी2पी में अंतरित होने की संभावना के संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि टीसीसीसीपीआर, 2018 के नये विनियामक ढ़ांचे के तहत, मूल निकायों को टीएसपी के साथ पंजीकृत होना होगा और केवल तभी वे वाणिज्यिक सम्प्रेषण भेजने के लिए पंजीकृत टेलीमार्केटियरों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। नए विनियमों में अनेक उपाय किए गए हैं ताकि ऐसी कमियों को दूर किया जा सके जैसे अधिमान संबंधी आंकड़ों को डाउनलोड करने की अनुमति नहीं देना, मध्यवर्ती संस्थाएं उन्हें यूटीएम संबंधी क्रियाकलापों को करने में मदद की हो। नया ढ़ांचा, मूल निकायों को प्राधिकृत संसाधनों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करता है और उन्हें विधिक रूप से तथा विधिसम्मत तरीके से अपना व्यापार करने हेतु अनेक लाभ प्रदान करता है। नए उपायों से मूल निकायों को अपने डाटा की रक्षा करने, अपनी पहचान को स्पष्ट रूप से उद्घटित करने, धोखाधड़ी पूर्वक उनकी पहचान के उपयोग संबंधी चिंताओं के निकारण में भी मदद मिलेगी। एक ओर, मूल निकायों को वाणिज्यिक सम्प्रे"ाण भेजने के लिए प्राधिकृत पद्धति का उपयोग करने के लिए अनेक प्रोत्साहन प्राप्त होंगे और दूसरी ओर अप्राधिकृत पी2पी पद्धति का अपनाने के लिए कड़े निरुत्साहन होंगे। यदि, किसी मूल निकाय को वाणिज्यिक सम्प्रे"ाण भेजने के लिए अप्राधिकृत पी2पी पद्धति को अपनाकर उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो ऐसी गतिविधियों का टीएसपी द्वारा तुरंत और आसानी से पता लगाया जा सकता है और टीएसपी विनियमों के अनुसार ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। उल्लंघनकर्ताओं को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए, ऐसी संभावनाएं अत्यंत कम हैं और इनका टीसीसीसीपीआर, 2018 के उपबंधों के तहत प्रभावी ढ़ंग से समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

iii. टीसीसीसीपीआर, 2018 की प्रभावकारिता और अधिक स्पष्ट होने तक कुछ और समय तक समीक्षा किए जाने हेतु प्रतीक्षा किया जाना।

19. टीसीसीसीपीआर, 2018 के विनियमों को दिनांक 19 जुलाई, 2018 को अधिसूचित किया गया था और यह समग्ररूप से दिनांक 28 फरवरी, 2019 से प्रभावी हो गए। इसलिए, यह कहना गलत है कि विनियमों को लागू नहीं किया गया है अथवा इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ और समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। विनियामक ढ़ांचे के अनुसार, टीएसपी इनमें विहित विनियामक ढ़ांचे का अनुपालन करने हेतु बाध्य हैं ताकि अवांछित वॉयस काल के साथ एसएमएस दोनों को नियंत्रित किया जा सके और यह आषा की जाती है कि सेवा प्रदाता नए विनियमों का शब्दषः अनुपालन करेंगे। इस तर्क में कोई गुण नहीं है कि प्राधिकरण को कुछ और समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जिससे टीसीसीसीपीआर, 2018 की प्रभावकारिता स्पष्ट हो जाए।

अन्य मुद्दों का विश्लेषण

20. एक हितधारक ने प्रारूप पैंसठवें संशोधन आदेश की विषयवस्तु को टैरिफ मुद्दों पर जारी पृथक परामर्ष पत्र के साथ जोड़ने के साथ– साथ आईयूसी ढ़ांचे के साथ जोड़ने पर टिप्पणी की है। इस संबंध में, यह नोट किया जाए कि विभिन्न टैरिफ के मुद्दों पर कतिपय प्रचालनात्मक/ तकनीकी संबंध हमेशा बनाए जा सकते हैं। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि किसी विषिष्ट टैरिफ मुद्दे की जांच की जाती है तो उसके साथ–साथ अन्य उपबंधों की भी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता होती है। विनियामक ढांचे की समीक्षा करने के कार्य में विनियामक ढांचे की अनुकूलता पर बल दिया जाना चाहिए और संबंधित उपबंधों में परिवर्तन किया जाना चाहिए जो विनियामक ढांचे को असंगत बना सकते हैं। चौवनवां संशोधन आदेश, आईयूसी के संदर्भ में अथवा सामान्य रूप से एसएमएस के टैरिफ को विनियमित करने के संदर्भ में जारी नहीं किया गया था, इसके बजाय, इसे यूसीसी पर लगाम लगाने के मद्देनजर टीसीसीसीपीआर, 2010 के उपबंधों की अनुपूर्ति करने के लिए जारी किया गया था। इस प्रकार, प्रारूप पैंसठवें संशोधन आदेश की विषयवस्तु और टैरिफ संबंधी मुद्दों और/ अथवा आईयूसी पर परामर्ष पत्र के बीच कोई प्रासंगिक संबंध नहीं है। तदनुसार, इस संबंध में टीएसपी का कथन सहमत होने योग्य नहीं हैं।

21. हितधारकों द्वारा प्रस्तावित संशोधन के पक्ष में इंगित किया गया एक मुख्य बिंदु एसएमएस सेवा के थोक परंतु गैर– वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के संबंध में दिनांक 05 नवम्बर, 2012 के दूरसंचार टैरिफ (चौवनवां संशोधन) आदेश द्वारा अंतःस्थापित उपबंधों के अप्रत्याषित प्रभाव के संबंध में था। विभिन्न व्यक्ति विषेष जो भारतीय रेल के साथ अपने व्यक्तिक अथवा आधिकारिक क्षमता से संबद्ध हैं, उन्होंने निवेदन किया है कि भारतीय रेल को रेल प्रचालनों की प्रचालनात्मक, अनुरक्षण तथा संरक्षा के लिए थोक में एसएमएस भेजने होते हैं तथा प्रतिदिन प्रति सिम 100 एसएमएस से इतर भेजे गए प्रत्येक एसएमएस के लिए 50 पैसे प्रति एसएमएस के जरूरी न्यूनतम मूल्य से भारतीय रेल के संसाधनों की अनावष्यक रूप से वित्तीय हानि हो रही है। यह तर्क भी दिया गया है कि जबकि चौवनवें संशोधन आदेश का उद्देष्य यूसीसी पर रोक लगाना था, यह भारतीय रेल जैसे संगठनों की वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार करने में असफल रहा है।

22. टैरिफ को विनियमित करने के संबंध में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने प्राथमिक रूप से 'फारबीयरेंस' की नीति का अनुपालन किया है तथा सेवा प्रदाताओं को मौजूदा बाजार परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त टैरिफ को तैयार करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। 'फारबीयरेंस' की नीति के परिणामस्वरूप बाजार में नए और नवोन्मेषी टैरिफ आए हैं, जो दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं को वाजिब तथा आसान दरों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देष्य से प्रेरित है। जबकि एक ओर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपने टैरिफ विनियमन के माध्यम से एक ओर 'फारबीयरेंस' की नीति के दायरे को विस्तृत किया है, वहीं दूसरी ओर दूरसंचार क्षेत्र का सुचारू विकास सुनिष्चित करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा संवर्धन करने के लिए प्रयास किए गए हैं।

23. मौजूदा मामले में, उपभोक्ताओं की दलील तर्कसंगत प्रतीत होती है कि मौजूदा टीटीओ उपबंधों में एसएमएस के वास्तविक गैर– वाणिज्यिक थोक उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता है, जो सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रतिदिन प्रति सिम 100 एसएमएस से कम एसएमएस के लिए पेशकश किए जा रहे मूल्यों की अपेक्षाकृत कहीं अधिक मूल्य का भुगतान करने हेतु बाध्य होते हैं। यह विषमता बाजार की परिस्थितियों तथा मौजूदा प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप नहीं होती है। ऐसा टीटीओ में चौवनवें संशोधन के रूप में विनियामक हस्तक्षेप के कारण होता है। मौजूदा परिदृश्य में किसी विनियामकारी उपबंध को उस स्थिति में ही औचित्यपूर्ण कहा जाता है जब इसकी प्रभावकारिता तथा यूसीसी की समस्या को नियंत्रित करने हेतु इसकी आवश्यकता, टैरिफ संबंधी विनियम के प्रतिकूल प्रभावों को संतुलित करती है। टीसीसीसीपीआर, 2018 को लागू किए जाने के साथ ही, जो इस क्षेत्र में हुए प्रौद्योगिकीय विकास की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा सेवा प्रदाताओं के साथ सूक्ष्मता के साथ सहयोग करने हेतु एक ढ़ांचा उपलब्ध कराता है, यह देखा गया है कि ऐसा टैरिफ विनियमन जिसमे एसएमएस के वास्तविक गैर–वाणिज्यिक थोक उमभोक्ताओ के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की क्षमता है और जिसकी अब आवश्यकता नही है उसे हटाया जा सकता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने चौवनवें संशोधन आदेश के उपबंधों को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2020

No. 301-03/2020-F&EA — In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely: -

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SIXTY FIFTH AMENDMENT) ORDER, 2020

(No. 01 of 2020)

1. (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Sixty Fifth Amendment) Order, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 3 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 (hereinafter referred to as the principal tariff order), for the word and figures "Schedule I to XIII", the word and figures "Schedule I to XII" shall be substituted.

3. In the principal tariff order, Schedule XIII and entries thereunder shall be deleted.

S. K MISHRA, Pr. Advisor (F&EA)

[Advt.-III/4/Exty./39/20-21]

Note.1. – The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No.99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below:-

Amendment No.	Notification No. and Date
1st	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.3.1999
2nd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
3rd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
4th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.7.1999
5th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.9.1999
6th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.9.1999
7th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.3.2000
8th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.7.2000
9th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.8.2000
10th	306-1/99-TRAI(Econ) dated 9.11.2000
11th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.1.2001
12th	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.1.2001
13th	303-4/TRAI-2001 dated 1.5.2001
14th	306-2/TRAI-2001 dated 24.5.2001
15th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.7.2001
16th	310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.8.2001
17th	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.1.2002
18th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.1.2002
19th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.2.2002
20th	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.3.2002

21st	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.6.2002
22nd	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4.7.2002
23rd	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6.9.2002
24th	306-2/2003-Econ dated 24.1.2003
25th	306-2/2003-Econ dated 12.3.2003
26th	306-2/2003-Econ dated 27.3.2003
27th	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.4.2003
28th	301-51/2003-Econ dated 5.11.2003
29th	301-56/2003-Econ dated 3.12.2003
30th	301-4/2004(Econ) dated 16.1.2004
31st	301-2/2004-Eco dated 7.7.2004
32nd	301-37/2004-Eco dated 7.10.2004
33rd	301-31/2004-Eco dated 8.12.2004
34th	310-3(1)/2003-Eco dated 11.3.2005
35th	310-3(1)/2003-Eco dated 31.3.2005
36th	312-7/2003-Eco dated 21.4.2005
37th	312-7/2003-Eco dated 2.5.2005
38th	312-7/2003-Eco dated 2.6.2005
39th	310-3(1)/2003-Eco dated 8.9.2005
40th	310-3(1)/2003-Eco dated 16.9.2005
41st	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42nd	301-34/2005-Eco dated 7.3.2006
43rd	301-2/2006-Eco dated 21.3.2006
44th	301-34/2006-Eco dated 24.1.2007
45th	301-18/2007-Eco dated 5.6.2007
46th	301-36/2007-Eco dated 24.1.2008
47th	301-14/2008-Eco dated 17.3.2008
48th	301-31/2007-Eco dated 1.9.2008
49th	301-25/2009-ER dated 20.11.2009
50th	301-24/2012-ER dated 19.4.2012
51st	301-26/2011-ER dated 19.4.2012
52nd	301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012
53rd	301-39/2012-F&EA dated 1.10.2012
54th	301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012
55th	301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013
56th	301-26/2012-ER dated 26.11.2013
57th	312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014
58th	312-2/2013- F&EA dated 01.08.2014

59th	310-5 (2)/2013-F&EA dated 21.11.2014
60th	301-16/2014-F&EA dated 09.04.2015
61st	301-30/2016-F&EA dated 22.11.2016
62nd	301-30/2016-F&EA dated 27.12.2016
63rd	312-1/2017-F&EA dated 16.02.2018
64th	301-20/2018-F&EA dated 24.09.2018

Note 2. – The Explanatory Memorandum explains the reason for Telecommunication Tariff (Sixty Fifth Amendment) Order, 2020.

EXPLANATORY MEMORANDUM

A. Introduction and Background

1. The Telecom Regulatory Authority of India had issued the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulation, 2010 (6 of 2010) dated the 1st December, 2010 to provide an effective mechanism for curbing unsolicited commercial communications (UCC). All the provisions of regulations came into force from 27th September 2011.

2. Further, with the same objective of curbing UCC, the Telecom Regulatory Authority of India had issued the Telecommunication Tariff (54th Amendment) Order dated 5th November 2012 (54th Amendment Order). At the time of issuing the 54th Amendment Order, the Authority observed that subscribers undertaking telemarketing activities using normal mobile connections use discounted SMS packages available in the market, for sending bulk promotional SMSs. Based on the public consultative process, the principal tariff order was amended mandating the service providers not to allow sending of more than one hundred SMS per day per SIM at concessional rate. Further, it was provided that subscribers can send SMS beyond one hundred SMS per day per SIM, but all such SMSs will be charged at the rate of not less than fifty paisa per SMS. The Authority considered that notifying a tariff of minimum of fifty paisa per SMS for SMS exceeding 100 SMS per SIM per day as one of the several measures initiated to effectively protect the telecom subscribers from the menace of UCC.

3. In 2017, the Authority noted that despite various measures taken to curb UCC under the framework of the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulation, 2010 (TCCCPR 2010) and other Directions issued on the issue, UCC complaints were on a rise and the problem was not fully under control. To address various issues and concerns, Consultation Paper on UCC was issued on the 14th of September 2017. Pursuant to the consultative process, the Authority repealed the TCCCPR 2010 and introduced the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018 (6 of 2018) dated the 19th July, 2018 (TCCCPR, 2018). The new regulatory framework prescribed under the TCCCPR 2018 is technology driven and prescribes technological solutions to detect the UCC such as advanced signature solutions, UCC detect system etc.

4. It is pertinent to keep in mind that the TRAI has moved over the years, from a stage of “fixation of tariff rates” to stage of “forbearance with prior Approval stage” and finally to a stage of “forbearance regime with post-facto reporting obligation” with regulatory oversight. Accordingly, extant policy stance of Tariff regulation gives the TSPs the requisite freedom to design tariff according to their best commercial interest in the prevailing market conditions. This has led to variety of innovative tariffs in the market furthering the objective of provision of telecom services at reasonable and affordable rates to Consumers.

5. Considering the comprehensiveness of the regulatory framework prescribed in the TCCCPR 2018, now there may not be any need of restricting the number of SMSs allowed to be offered on concessional rate or for regulating the tariff of SMSs for protecting the telecom subscribers from the menace of UCC. Further, the move would be consistent with the general TRAI regulatory approach of forbearance in relation to determination of tariffs.

6. Accordingly, a Draft Telecommunication Tariff (65th Amendment) Order, proposing to delete Schedule XIII to the principal tariff order, thereby implying the move from regulating tariffs for more than 100 SMSs per SIM per day to the state of forbearance in matters of determination of tariffs for SMSs, was issued on 18th February, 2020. The Draft Telecommunication Tariff (65th Amendment) Order was placed in public domain on TRAI’s website. Stakeholders were invited to submit written comments by 3rd March, 2020 and counter-comments by 17th March, 2020. The comments and the counter-comments received from the stakeholders were also placed on TRAI’s website.

7. Considering the developments arising from spread of Covid-19 pandemic and consequent preventive measures required by the Government of India, including, inter-alia, prohibition of gatherings and adherence to social distancing guidelines, the TRAI conducted an online Open House Discussion (OHD) for the stakeholders on 6th May, 2020 and gave them one more opportunity to not only present their views verbally but also permitted them to submit any supplementary information in writing. The contents of the Draft Telecommunication Tariff (65th Amendment)

Order and the views of the stakeholders thereupon were deliberated by the Authority. A brief analysis of the key issues is noted in succeeding paragraphs.

B. Analysis of the key issues raised by the stakeholders against the Draft Telecommunication Tariff (65th Amendment) Order

8. The issues raised by some of the stakeholders against the proposal to repeal the provisions of the 54th Amendment Order can be classified under three broad categories, *viz.*:

(i) Issues relating to efficacy of TCCCPR, 2018;

(ii) Need for a complementary prevention measure in form of tariff regulation for number of SMSs per Sim per day to support the provisions of TCCCPR, 2018 to curb the practice of UCC; and

(iii) Waiting for the review for some more period till the effectiveness of TCCCPR, 2018 becomes a little clearer.

9. Apart from the aforesaid concerns relating to the impact of the amendment on UCC, one stakeholder has pointed out that the extant provision allowed the service providers to cater to daily needs of a genuine individual customer by means of providing sufficient free/discounted SMS while at the same time recovering a higher price from a fraction of subscribers for higher number of SMSs to cover the implicit costs. Based on the same, TSP has submitted that any repeal of the 54th Amendment Order would disturb this fine balance. It has also been argued that the impact would be more pronounced in view of the fact that the Authority has not yet chosen to provide any forward path on the IUC for SMS services.

10. Each of the aforesaid comments have been further examined and analysis thereon is presented below.

Analysis of issues relating to UCC concerns

i. Issues relating to efficacy of TCCCPR, 2018

11. Some of the stakeholders pointed out that TCCCPR 2018 may not be able to control UCC SMS from 10-digit numbers. However, the apprehensions is not based on facts. In this regard, it may be noted that there are specific provisions in TCCCPR 2018 to control UCC SMS viz.

a) Provisions to register the principal entities who undertake to get their products popularized using telemarketers which would make it easy to identify the principal entities using unauthorized telemarketers to popularize their products;

b) Commercial incentives given to telemarketers to popularize their products including those who are using unregistered resources to do the telemarketing activities.

c) Provisions to restrict outgoing services of the sender in case of a complaint against such numbers for sending UCC and if such complaints are found to be valid and sender continues to send spam despite notices served to him, provision exists in the regulations to disconnect as well.

12. Apart from the above, there is a well-defined procedure to provide SIM after verification of proof of identity (POI) and proof of address (POA). Hence, any such person/entity using telecom resources for sending unsolicited commercial communication SMS can be easily identified and all their telecom resources disconnected.

13. Based on the aforesaid, it may be said that the provisions contained in TCCCPR 2018 are a sufficient deterrent and must be strictly enforced by service providers. Still, if at all, any UCC violations are noticed or reported in respect of UCC from Registered or Unregistered Telemarketers (RTM/ UTM) then it would be appropriately dealt under these regulations. Therefore, the submission of TSPs that TCCPR 2018 may not be able to control UCC SMS from 10-digit numbers is not based on the facts and hence not tenable.

ii. Need for a complementary prevention measure in form of tariff regulation for number of SMSs per Sim per day to support the provisions of TCCCPR, 2018 to curb the practice of UCC

14. Some of the stakeholders had raised concerns that the safeguards in TCCCPR 2018 such as: (i) usage caps being a post facto measure; (ii) possibility of using multiple SIMs for sending UCC SMS; and (iii) possibility of UTMs shifting from A2P to P2P to send UCC SMS. Based on the same, it was argued that a complementary prevention measure in form of tariff regulation as contained in TTO (54th Amendment) Order is needed.

15. It is correct that usage cap is post facto measure. However, it may be noted that there is no way to determine in a non-invasive manner whether a particular P2P SMS is a telemarketing message as content of communications are not examined by the TSPs. Any mechanism to restrict sending P2P messages in a proactive manner and applicable to all may cause more harm than intended benefits.

16. The submission of stakeholders that UTMs can change the SIM and continue sending SMS, is not possible as SIMs are provided after due verification of POI/POA. Even now possibility of using SIM bank with multiple SIMs cannot be ruled out which is difficult to be identified also. If such limits as fixed under 54th Amendment Order are removed and complaints are registered, the individual/entity can still be identified irrespective of the fact whether it is continuing with the same SIM or has changed his number.

17. In regard to both the above concerns/apprehension, what is required is a strict deterrent regime and there are adequate provisions in TCCCPR 2018 to control misuse of such telecom resources and initiating exemplary action against violators including disconnection of their telecom resources. Hence it is unlikely that anyone with ordinary prudence will even venture and put all their telecom resources on stake for sending such unsolicited commercial communication SMS. However, if someone indulges in such a misbehavior then TCCCPR,2018 has provisions to deal with it.

18. As regards possibility of UTMs shifting from A2P to P2P for sending UCC SMS, it may be noted that under new regulatory framework TCCCPR 2018, Principal entities have to get registered with the TSPs and then only they can use the services of Registered Telemarketers to send the commercial communications. New regulations have introduced number of measures which have been taken to plug the gaps such as not allowing to download preference data, intermediaries could have helped them in carrying out UTM related activities. The new framework encourages principal entities to use authorized resources and give them lot of advantages to conduct business legally and in a lawful manner. New measures would also help principal entities to protect their data, assert their identity, coordinate with TSPs to address the concerns of fraudulent use of their identity. On one side, Principal entity has lot of incentives to use authorized path to send commercial communications and the other hand they have strong disincentives to adopt unauthorized P2P path. In case, a principal entity is found to be involved in violations of the regulations by using unauthorized P2P path for sending commercial communications then such activities can easily and quickly be discovered by the TSPs. And TSPs can take actions against such violators as per the regulations. Violators may have to face serious implications. Therefore, such possibilities are very remote and needs to be effectively addressed under provisions of TCCPR 2018

iii. Waiting for the review for some more period till the effectiveness of TCCCPR, 2018 becomes a little more clear

19. TCCPR 2018 Regulation has been notified on 19th of July 2018 and has come in effect in its entirety on 28th of February 2019. Therefore, it is incorrect to say that Regulations have not been implemented or it is required to wait more for assessing the impact. As per the regulatory framework, TSPs are obliged to comply with the regulatory framework prescribed therein to control both unsolicited voice calls as well as SMS and it is expected that the service providers will follow the new regulations, both in letter and spirit. There is no merit in argument that the Authority should wait for some more period till the effectiveness of TCCCPR,2018 becomes clearer.

Analysis of Other Issues

20. A stakeholder has commented linking the contents of Draft 65th Amendment Order with the separate consultation paper issued on tariff issues and also linking with the IUC framework. In this regard, it may be noted that some operational/technical linkages can always be drawn between various tariff issues, however, that does not imply that if a specific tariff issue is examined, all the other provisions need to be reviewed at the same time. The exercise of reviewing the regulatory framework must emphasize consistency of regulatory framework and undertake changes in related provisions which may make regulatory framework inconsistent. The 54th Amendment Order was not issued in context of IUC or to regulate tariff of SMS in general, instead the same was issued to supplement the provisions of the TCCCPR 2010 with a view to curb UCC. Thus, there are no contextual linkages between the contents of Draft 65th Amendment Order and that of consultation paper on tariff issues and/or IUC. Accordingly, the submissions of the TSP in this regard are not agreeable.

21. A key issue pointed out by the stakeholders in favor of the proposed amendment relates to inadvertent effect of the provisions inserted by the Telecommunication Tariff (54th Amendment) Order dated 5th November 2012 on the bulk but non-commercial users of SMS service. Various individuals who are associated with Indian Railways in their personal or official capacity have submitted that the Indian Railways has to send bulk SMSs for operational, maintenance and safety of train operations and the forced minimum price of 50 paisa per SMS for every SMS beyond 100 SMS per SIM per day is causing an undue financial drain on the resources of Indian Railways. It has been argued that while the purpose of the 54th Amendment Order was to curb UCC, it has failed to take into consideration the genuine requirements of organizations such as Indian Railways.

22. The TRAI, as regards regulation of tariffs, has primarily followed the policy of forbearance and has given the service providers the freedom to design the tariffs suited to the prevailing market conditions. The forbearance regime has led to introduction of new and innovative tariffs in the market designed to provide telecom services at reasonable and affordable rates to consumers. While on one side, TRAI, through its tariff regulation, has enlarged the

scope of forbearance regime, on the other side, it has continuously endeavored, by providing adequate safeguards to protect and promote consumer interests while ensuring orderly growth of the telecom sector.

23. In the instant case, there appears to be a substantial merit in the argument of the consumers that extant TTO provision does have the potential of adversely affecting genuine non-commercial bulk users of SMSs who are compelled to pay significantly higher rates considering the SMS tariff offered by service providers for less than 100 SMSs per SIM per day. This disparity results not due to the market conditions and prevailing competition. It happens because of the regulatory intervention in form of 54th Amendment to TTO. A regulatory provision in current context can be considered as proportionate till its efficacy and requirement for curbing the menace of UCC is expected to balance the adverse effects of tariff regulation. With the introduction of TCCCPR 2018 which endeavors resorting to technological developments in this area and provides for a framework comprising of close cooperation with the service providers, it is observed that the tariff regulation which has the potential of adversely affecting the interests of genuine non-commercial bulk users of SMS is no longer required and therefore can be removed. Accordingly, the Authority has decided to withdraw the provisions of 54th Amendment Order.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.03 19:04:46 +05'30'